



राजस्थान विश्वविद्यालय  
जयपुर

क्रमांक :- ले.वि./2023/

दिनांक :

अधिसूचना

कुलसचिव महोदय के आदेश दिनांक 08.08.2023 की पालना में शासन सचिव वित्त (बजट), राजस्थान सरकार के आदेश संख्या प.13 (12) वित्त (नियम) 2021 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं में जहाँ CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी के सम्बन्ध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 04.07.2023 के निरन्तरता में विकल्प प्रस्तुत करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.08.2023 तक बढ़ायी जाती हैं।

- ६ -


उप-कुलसचिव  
(लेखा एवं वित्त)

क्रमांक :- ले.वि./2023/15367-15447

दिनांक : 14/8/2023

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (बजट), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष शैक्षणिक/अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. समस्त निदेशक, विश्वविद्यालय केन्द्र/पी.जी. स्कूल, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राज.वि.वि., जयपुर को राजस्थान सरकार के आदेश एवं विकल्प पत्र की प्रति भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना के साथ विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट पर तुरन्त प्रसारित करावें।
8. परीक्षा नियंत्रक, राज.वि.वि., जयपुर।
9. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
10. निजी सचिव-कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राज.वि.वि., जयपुर।

  
सहायक-कुलसचिव  
(लेखा एवं वित्त)